अध्याय 2

एकीकृत बाल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन

अधिकांश क्षेत्रों में ज़रूरतमंद बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करने की दिशा में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रयास कम और धीमे थे। योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थानों जैसे कि एसएआरए, सीडब्ल्यूसी तथा डीसीपीयू के सृजन में विलम्ब हुई। डीएससीपीएस, जो आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय था, आवश्यक प्रोत्साहन और नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि इसकी शासी निकाय और कार्यकारी समिति निष्क्रिय थी। सर्वेक्षण आदि के माध्यम से देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या का आकलन करने अथवा उनकी पहचान करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया था। दिल्ली में सीएनसीपी से संबंधित आंकड़ों के अभाव में, रा.रा.क्षे.दि.स. उनकी देखभाल और इसके लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की योजना बनाने की स्थिति में नहीं था। वित्तीय प्रबंधन में भी कमी थी क्योंकि व्यय बजट आवंटन से काफी कम था, जो कि अवास्तविक बजट को दर्शाता है। सरकार गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित सीसीआई को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रही क्योंकि निधि जारी करने में विलम्ब की। रा.रा.क्षे.दि.स. आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदानों में बढ़े हुए केंद्रीय हिस्से का लाभ उठाने में भी विफल रही।

आईसीपीएस का मूल उद्देश्य देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना था और इसके दिशानिर्देशों के अनुसार योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस) स्थापित करना आवश्यक था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, बाल संरक्षण/कल्याण मामलों से संबंधित सचिव, डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी हैं, जबकि एमओडब्ल्यूसीडी को आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली में एक केंद्रीय परियोजना सहायता इकाई (सीपीएसयू) और राज्य में राज्य परियोजना सहायता इकाई (एसपीएसयू) स्थापित करने के लिए डीडब्ल्यूसीडी को धन उपलब्ध कराना था।

सीपीएसयू और एसपीएसयू को मिशन निदेशक की अध्यक्षता में "मिशन निदेशालय" के रूप में कार्य करना था। राज्य सरकार को आईसीपीएस के तहत राज्य में बाल संरक्षण सेवाओं की आवश्यकताओं का आकलन करना था और तद्नुसार राज्य के बजट में समय पर बजटीय प्रावधान करना था। किश्तों को जारी करने के लिए अनुरोध करते समय, इसे कुल राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र,

यानी पिछली किश्त के केंद्र और राज्य के हिस्से को, प्रस्तुत करना होगा और अपने "स्टेट मैचिंग शेयर" को प्रमाणित करना होगा।

डीडब्ल्यूसीडी को उन सभी मौजूदा परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना था जिन्हें आईसीपीएस के तहत लाया गया है जैसे (i) सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम; (ii) किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम; और (iii) आईसीपीएस मानदंडों के अनुसार देश में गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता योजना।

2.1 योजना

2.1.1 देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास/बहाली, गोद लेने और पुन: एकीकरण के लिए डीएससीपीएस/एसएआरए /सीडब्ल्यूसी/डीसीपीयू-सहायता संरचना की स्थापना

डीडब्ल्यूसीडी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर राज्य स्तर पर डीएससीपीएस एवं एसएआरए और प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यान्वयन अनुसूची विकसित करनी थी। डीडब्ल्यूसीडी को छः महीने के भीतर ज़िला बाल संरक्षण समितियां, प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां और एक दत्तक समन्वय एजेंसी भी स्थापित करनी थी।

2.1.1.1 दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (डीएससीपीएस)

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (मार्च 2010) के अनुसार, दिल्ली एससीपीएस का गठन अगस्त 2010 में सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया था, जिसका विशिष्ट उद्देश्य दिल्ली में आईसीपीएस के कार्यान्वयन के लिए डीडब्ल्यूसीडी को एक अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं तकनीकी क्षमता प्रदान करना और परिचालन करना था। डीएससीपीएस की अध्यक्षता डीडब्ल्यूसीडी के मंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें 16 सदस्य होते हैं जिसमें एक गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित अधिकतर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

समझौता ज्ञापन के खंड 3.4 के अनुसार, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य मुख्य रूप से ज़िम्मेदार था, जबकि डीएससीपीएस इसकी कार्यान्वयन शाखा थी।

डीएससीपीएस के लक्ष्यों और उद्देश्यों में शामिल हैं (ए) ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच, संस्थागत देखभाल, परिवार और समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श और सहायता सेवाओं के लिए सेवाएं स्थापित करना; (बी) ज़िला

स्तर पर आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संरचनाओं और तंत्रों को स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना; (सी) सभी स्तरों पर सभी पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण; (डी) आईसीपीएस के तहत ज़िम्मेदारीयों को निभाने के लिए संबंधित संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका आदि के सदस्यों को संवेदनशील और प्रशिक्षित करना; (ई) बाल संरक्षण डेटा प्रबंधन प्रणाली और बाल सुरक्षा सेवाओं आदि के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बाल ट्रैकिंग प्रणाली के लिए तंत्र बनाना। यह विभिन्न कार्यों का निर्वहन करता है और अपने समझौता ज्ञापन एवं नियमों और विनियमों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करता है। डीएससीपीएस शासी निकाय (शा.नि.), कार्यकारी समिति (का.स.) के माध्यम से कार्य करता है।

डीएससीपीएस की शासी निकाय - लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएससीपीएस की शासी निकाय की तीन वर्ष 2018-21 की अवधि के दौरान केवल एक बार (जुलाई 2019) बैठक हुई थी। आयोजित एकमात्र बैठक में**,** नियमित मामलों के अलावा, एजेंडा में एकमात्र मद, प्रायोजन योजना का कार्यान्वयन था**,** जिसके लिए उपमुख्यमंत्री को एसओपी का मसौदा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। आगे कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार वार्षिक बजट**,** वार्षिक कार्य योजना, वित्तीय स्थिति और विशेषज्ञों एवं प्रशासनिक/तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति से संबंधित मामलों पर न तो चर्चा की जा सकी और न ही मुद्दों पर कोई आवश्यक दिशा-निर्देश मांगा जा सका।

इस प्रकार**,** शासी निकाय की नियमित बैठकों के अभाव में**,** आईसीपीएस के कार्यान्वयन में सरकार के आवश्यक निर्देशों और प्रेरणा की कमी थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि कोविड-19 महामारी के कारण शासी निकाय की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासी निकाय की बैठकें कोविड-19 से पहले भी आवश्यकतानुसार आयोजित नहीं की गई थीं।

डीएससीपीएस की कार्यकारी समिति: डीएससीपीएस की कार्यकारी समिति (का.स.) शासी निकाय की ओर से सभी कार्यों को करने और सभी निर्णय लेने तथा शासी निकाय में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, सिवाय उसके जो शासी निकाय द्वारा विशिष्ट रूप से अलग रखा गया है। का.स. के अध्यक्ष बच्चों के लिए राज्य बाल संरक्षण नीति और राज्य कार्य योजना के नियमन की सुविधा के द्वारा राज्य में आईसीपीएस और अन्य सभी बाल संरक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं। अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए, का.स. को तीन महीने में कम से कम एक

बार मिलना आवश्यक था। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होने के बावजूद, का.स. ने 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान, निर्धारित न्यूनतम 12 त्रैमासिक बैठकों की तुलना में केवल एक बार (दिसंबर 2018) बैठक की। शासी निकाय और कार्यकारी समिति की आवधिक बैठकों के अभाव से संकेत मिलता है कि डीएससीपीएस, जो आईसीपीएस को लागू करने के लिए सर्वोच्च संस्थान है, अपना काम सावधानी से नहीं कर रहा था और योजना के कार्यान्वयन को नियंत्रणहीन छोड़ दिया। डीएससीपीएस के कामकाज में खामियों को बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई टिप्पणियों में देखा जा सकता है।

अनुशंसा सं. 1: बाल संरक्षण योजनाओं को लागू करने वाले संस्थानों की समीक्षा, सुधार और निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करें और उनका पालन सुनिश्चित करें। चूककर्ताओं की ज़िम्मेदारी तय की जाए।

2.1.1.2 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए)

समझौता ज्ञापन (मार्च 2010) के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर, यानी जून 2010 तक एसएआरए का गठन किया जाना था, हालांकि, यह देखा गया कि एसएआरए का गठन सितंबर 2011 में यानी 14 महीने के विलम्ब के बाद किया गया। एसएआरए के गठन में विलम्ब के बाद भी, इसके शासी निकाय का गठन जून 2018 में किया गया था। राज्य में गोद लेने की प्रक्रिया या प्रणालियों में परिचालन के साथ-साथ लॉजिस्टिक मुद्दों और बाधाओं को दूर करने के लिए एसएआरए के शासी निकाय को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करनी आवश्यक थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत एसएआरए का कोई प्रावधान नहीं था और इसे आईसीपी योजना के अंतर्गत सितंबर 2011 में गठित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओडब्ल्यूसीडी, भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच मार्च 2010 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार तीन महीने के भीतर एसएआरए का गठन आवश्यक था।

2.1.1.3 बाल कल्याण समितियां

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच मार्च 2010 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी का गठन दिल्ली सरकार द्वारा तीन महीने के भीतर, यानी जून 2010 तक किया जाना था। हालांकि, 10 में से दो सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी-IX गोल मार्केट और सीडब्ल्यूसी-X अलीपुर, छः साल[4] से अधिक के विलम्ब से गठित किए गए थे।

[4] सीडब्ल्यूसी-IX गोले मार्केट और सीडब्ल्यूसी-X अलीपुर क्रमशः सितंबर 2017 और जनवरी 2018 को गठित किए गए थे।

2.1.1.4 ज़िला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू)

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (मार्च 2010) में छः महीने के भीतर डीसीपीयू का गठन करना निर्धारित किया था। इन संस्थानों के समय पर गठन के लिए डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. ज़िम्मेदार था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ज़िलों में सभी 11 डीसीपीयू (डीडब्ल्यूसीडी मुख्यालय में एक सहित) छः साल तक के विलम्ब के बाद गठित किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट III** में वर्णित है।

डीसीपीयू के गठन में विलम्ब, जो ज़रूरतमंद बच्चों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए ज़िला स्तर की संस्थाएं हैं, बच्चों की जरूरतों के प्रति सरकार की मंशा और असंवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है।

डीडब्ल्यूसीडी ने जवाब दिया (दिसंबर 2021) कि डीसीपीयू की स्थापना एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें कई प्राधिकरण और अनुपालन शामिल हैं। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के बाद, सभी 11 ज़िलों में डीसीपीयू स्थापित किए गए और रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। विलम्ब के लिए दिए गए सभी कारण प्रशासनिक प्रकृति के हैं और उन्हें समय पर सूचित किया जाना चाहिए था।

स्टाफ की कमी: डीसीपीयू संबंधित जिले के ज़िला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक नियंत्रण और समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है और प्रत्येक डीसीपीयू का नेतृत्व एक ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी करता है। प्रत्येक डीसीपीयू में, इसके सुचारू संचालन के लिए 12 अधिकारियों की आवश्यकता होती है जिसे तीन और बाहरी कर्मचारियों के साथ बढ़ाकर 15 किया जा सकता है। आईसीपीएस दिशानिर्देश यह उपबंध करता है कि सामाजिक कार्यकर्ता अपने संबंधित क्लस्टर में क्षेत्र स्तर की गतिविधियों के समन्वय के लिए ज़िम्मेदार हैं। बाहरी कर्मचारी अपने संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारीयों को पूरा करने में सहायता करते हैं।

लेखापरीक्षा ने चार नमूना-जांच किए गए डीसीपीयू में, विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ता और बाहरी कर्मचारियों के प्रमुख पदों में 16 प्रतिशत से 63 प्रतिशत के बीच स्टाफ की कमी देखी। सभी चार डीसीपीयू में स्टाफ की उपलब्धता की स्थिति **परिशिष्ट IV** में दी गई है। डीसीपीयू में कर्मचारियों की कमी संभावित रूप से असुरक्षित बच्चों की पहचान में उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है और डीसीपीयू को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है तथा जो

डीसीपीयू के कामकाज में कमियों में योगदान दे सकता है जो पिछले पैराग्राफों में इंगित किए गए हैं।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि डीसीपीयू में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जुलाई 2021 में प्रकाशित किए गए हैं और उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

अनुशंसा सं. 2: ज़िला बाल संरक्षण इकाईयों में पर्याप्त स्टाफ को अपेक्षित प्रशिक्षण देकर असुरक्षित बच्चों के लिए की जाने वाली सेवाओं में सुधार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.2 देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान

बाल संरक्षण गतिविधियों की सफलता कठिन परिस्थितियों में बच्चों की उचित पहचान पर निर्भर करती है। संशोधित आईसीपीएस दिशानिर्देश, 2014 के अध्याय 3 के पैरा 2.1 (iii) और (iv) में कहा गया है कि डीसीपीयू देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए ज़िम्मेदार होगा और ऐसे बच्चों का ज़िला विशिष्ट डेटाबेस तैयार करेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में डीसीपीयू की ओर से देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में लापरवाही का पता चला।

निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

- नमूना-जांच किए गए सभी चार डीसीपीयू में, सीएनसीपी का ज़िला-वार डेटाबेस उपलब्ध नहीं था।
- रा.रा.क्षे.दि.स. ज़रूरतमंद बच्चों की पहचान करने में सक्रिय नहीं था और ऐसे बच्चों की पहचान करने और उन्हें सरकार की देखरेख में लाने के लिए मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठनों आदि जैसे अन्य संस्थानों/व्यक्तियों पर निर्भर था।
- नमूना जांच किए गए डीसीपीयू (मध्य) में से एक ने कहा (जून 2021) कि निधियों की अनुपलब्धता और कम स्टाफ के कारण, उन्होंने जोखिम वाले परिवारों की पहचान नहीं की।

इस प्रकार, असुरक्षित बच्चों की पहचान/डेटाबेस तैयार करने की बुनियादी सक्रियता जो डीडब्ल्यूसीडी के समग्र पर्यवेक्षण के तहत नमूना जांच किए गए डीसीपीयू द्वारा किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में जानकारी के अभाव में बच्चों के संरक्षण के लिए कोई भी नीति योजना या कार्यान्वयन दोषपूर्ण होना था।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि 2018 में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 73,128 बच्चों को सड़क पर असुरक्षित बच्चों के रूप में पहचाना गया। आगे कहा गया कि सड़क पर पाए गए बच्चों का डेटा दिसंबर 2021 में डीसीपीयू के साथ साझा किया गया है।

जवाब भ्रामक है क्योंकि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही जवाब के साथ संलग्न किया गया था। यह भी देखा गया कि कुल मिलाकर, दिल्ली में बाल देखभाल संस्थानों में केवल 3401[5] बच्चों की देखभाल की गई थी, जबकि उनके अपने अनुमान के अनुसार 73,000 से अधिक निराश्रित बच्चे घोर कष्ट में रह रहे थे।

अनुशंसा सं. 3: देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पहचान करने तथा ऐसे बच्चों के ज़िला-वार डाटाबेस को बनाए रखने के लिए सर्वेक्षण करें।

2.2 वित्तीय व्यवस्था

आईसीपीएस एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और इसे केंद्र सरकार से भारी वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है। यह योजना केंद्र/राज्यों/गैर सरकारी संगठनों के बीच निम्नलिखित लागत बंटवारा अनुपात के साथ कार्यान्वित की जाती है जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: केंद्र/राज्यों/गैर सरकारी संगठनों के बीच लागत बंटवारा अनुपात

क्र. सं.	अवयव	केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर	एनजीओ शेयर
i.	राज्य परियोजना सहायता इकाई, राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी और ज़िला बाल संरक्षण इकाई के सभी संरचनात्मक घटक	75%	25%	---
ii.	किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदान किए गए नियामक निकाय	35%	65%	---
iii.	सरकार द्वारा संचालित सभी गृह/विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए)	75%	25%	---
iv.	गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी घर/एसएए	75%	15%	10%
v.	एनजीओ की भागीदारी से चलाए जा रहे ओपन शेल्टर	90%	---	10%

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान आईसीपीएस के तहत बजट (भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. दोनों के हिस्से) का विवरण, उसके प्रतिकूल किए गए व्यय और अव्ययित शेष राशि **तालिका 2.2** में दी गई है।

[5] मार्च 2021 तक

तालिका 2.2: डीएससीपीएस को जारी की गई निधि और किया गया व्यय

(₹ लाख में)

साल	बजट		कुल	व्यय		कुल	अव्ययित शेष		कुल
	केंद्रीय शेयर*	राज्य शेयर		केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर		केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर	
2018-19	1063.7	688.91	1752.61	849.99	509.05	1359.04	213.71	179.86	393.57
2019-20	1104.44	722.14	1826.58	717.64	407.98	1125.62	386.80	314.16	700.96
2020-21	964.47	648.83	1613.30	726.87	425.14	1152.01	237.60	223.69	461.29
कुल	**3132.61**	**2059.88**	**5192.49**	**2294.50**	**1342.17**	**3636.67**			

* भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान आईसीपीएस पर कुल बजट और व्यय क्रमशः ₹ 5192.49 लाख और ₹ 3636.67 लाख था और इन वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित शेष बजट का 22 से 38 प्रतिशत था। बजट में अव्ययित शेष बाल देखभाल गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण करने, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचलित बाल संरक्षण संस्थानों की निर्वाह स्थिति में सुधार लाने इत्यादि को निष्पादित नहीं करने का कारण था। जैसा कि पैरा 4.2 - रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित सीसीआई की कार्यप्रणाली में चर्चा की गई है।

वित्तीय प्रबंधन में देखी गई अन्य कमियां निम्नानुसार हैं:

2.2.1 सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से में वृद्धि का दावा नहीं किया गया

आईसीपीएस, 2014 के संशोधित दिशानिर्देशों ने आईसीपीएस में केंद्र के लागत हिस्से में वृद्धि कर दी जैसा कि **तालिका-2.1** में दिखाया गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएससीपीएस ने पुराने शेयरिंग अनुपात (केन्द्र/राज्य/एनजीओ के शेयर - 60:30:10) के अनुसार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना जारी रखा और भारत सरकार ने पुराने शेयरिंग अनुपात के अनुसार निधियां स्वीकृत की। केंद्र:राज्यों/एनजीओ के बीच संशोधित शेयरिंग अनुपात को न अपनाने के कारण, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2018-21 के दौरान ₹ 839.50 लाख (₹ 294.53 लाख+₹ 290.66 लाख+₹ 254.31 लाख) का कम हिस्सा प्राप्त किया, जैसा कि **परिशिष्ट V** में दिखाया गया है।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है क्योंकि भारत सरकार को भेजा गया प्रस्ताव एससीपीएस 2014 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार था और तदनुसार डीडब्ल्यूसीडी को सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। डीडब्ल्यूसीडी का तर्क सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रस्ताव पुराने फॉर्मूले के अनुसार भेजे गए थे।

2.2.2 सीसीआई को निधियां जारी करने में विलम्ब

भारत सरकार डीडब्ल्यूसीडी द्वारा भेजे गए बजट प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. को धनराशि जारी करती है। जीएफआर, 2017 के नियम 230(11) के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए निधियों के आवंटन हेतु बजट प्रस्ताव पिछले वर्ष के सितंबर तक भारत सरकार को भेजे जाने होते हैं। हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी ने समय पर भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजे और शुरू होने के छः महीने पहले भेजने के बजाए 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के प्रस्ताव क्रमशः जुलाई 2018, जून 2019 और दिसंबर 2020 में, यानी वित्तीय वर्ष शुरू होने के तीन से नौ महीने बाद भेजे गए।

ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल करने में लगी संस्थाओं को डीडब्ल्यूसीडी द्वारा निधियां जारी करने में विलम्ब था। वर्ष 2018-19 के लिए डीसीपीयू/सीसीआई को अगले वित्तीय वर्ष में निधियाँ जारी की गई थी, एक किस्त अप्रैल 2019 में और दूसरी दिसंबर 2019 में। 2019-20 में, निधियाँ फरवरी और मार्च 2020 में जारी की गई थी, जबकि 2020-21 में निधियाँ फरवरी और मई 2021 में जारी की गई। निधियाँ जारी करने में विलम्ब के कारण का अभिलेख नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निधियों को जारी करने में विलम्ब से विभिन्न संस्थानों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसे कि कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में विलम्ब आदि। इस तरह की विलम्ब, गुणवत्ता के साथ समझौता करने के अलावा विभिन्न संस्थानों को चलाने वाले कर्मचारियों के मनोबल के लिए और बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने सहित प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समयबद्धता के लिए भी अहितकर है। निधियां जारी करने में विलम्ब ने डीएससीपीएस, सीडब्ल्यूसी, एसएआरए, डीसीपीयू और सरकारी सीसीआई के पास पड़ी हुई अव्ययित शेष राशि में योगदान दिया। इन संस्थानों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि जारी की गई निधियों के 20 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

बच्चों की देखभाल प्रदान करने में शामिल स्वैच्छिक संगठन ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बीच के अंतर को भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से सरकार की ज़िम्मेदारी है। सीसीआई को धन जारी करने में देरी सरकार के रवैये को दर्शाती है कि इन संस्थानों को चलाना स्वयंसेवी संगठनों की ज़िम्मेदारी है, जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अच्छा नहीं है।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि उनके द्वारा प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार को परियोजना

अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक से काफी पहले भेजे गए थे और उनकी ओर से कोई देरी नहीं हुई है क्योंकि मंजूरी केवल पीएबी के निर्णय और एमओडब्ल्यूसीडी से प्राप्त स्वीकृति पर निर्भर करती है। जवाब सही नहीं है क्योंकि जीएफआर के नियम 230(11) के अनुसार डीडब्ल्यूसीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. को पिछले वर्ष के सितंबर तक वित्तीय वर्ष के लिए निधि के आवंटन का प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता थी। एमओडब्ल्यूसीडी, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलम्ब के परिणामस्वरूप सीसीआई/डीसीपीयू/सीडब्ल्यूसी को निधियां जारी करने में और भी विलम्ब हुआ।

अनुशंसा सं. 4: वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सीसीआई और अन्य संस्थानों को निधियाँ जारी करें ताकि वे ठीक से काम कर सकें।

2.2.3 डीएससीपीएस द्वारा अपात्र सीसीआई को अनुदान जारी करना

दिल्ली राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (डीएससीपीएस) बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (स.अ.) प्रदान करती है। अनुदान की शर्तों के अनुसार, यदि स्वीकृति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य सरकार के पास सहायता अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में एनजीओ राशि वापस कर देगा। अनुदानग्राही संस्थानों को भी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियां डीएससीपीएस को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

डीएससीपीएस ने वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण, 2018-19 के लिए 13 अनुदानग्राही सीसीआई को 25 प्रतिशत सहायता अनुदान रोक दिया। तत्पश्चात, इन 13 अनुदानग्राहियों में से आठ ने डीएससीपीएस को लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किए। हालांकि, डीएससीपीएस ने सभी 13 अनुदानग्राहियों को अनुदान जारी किया, यद्यपि शेष पांच अनुदानग्राहियों ने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए। इन पांच अनुदानग्राहियों को जारी अनुदान राशि ₹ 22.77 लाख थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि एससीपीएस ने संबंधित गैर सरकारी संगठनों से लेखापरीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों सहित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किए। लेखापरीक्षा में विलम्ब के कारण उक्त सीसीआई में रखे गये बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए बाद में अनुदान जारी किया गया तथा कुल अनुदान का 25 *प्रतिशत* रोक दिया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक तथ्य है कि इन पांच सीसीआई को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले ही अनुदान जारी कर दिया गया था।